14.6.22 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा बार-बार नियमित अन्तराल पर आवाजे लगवायी गयी - फिर भी न तो विद्वान अधिवक्ता वादी और न ही वादी उपस्थित हुए।

अतः पत्रावली का निस्तारण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सीपीसी में निस्तारित किया जाना उचित है। पत्रावली आदेश-9 नियम 3 में खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बरान से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2024.05.22 11:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner